न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1457/एक/2005 –विरूद्ध आदेश दिनांक 28–7–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 102/202–03 अपील

(1) भरोसी (1) मौजी (3) सुरेश पुत्रगण घमण्डी
(4) सुश्री विट्टी (5) सुश्री कण्ठो पुत्रियां घमण्डी
(6) प्रीतम पुत्र मुल्ले सिंह
(7) दाताराम (8) बप्पाराम पुत्रगण जोमदार सिंह
(9) सुश्री द्रोपतीवाई पुत्री जोमदार सिंह
(10) श्रीमती कटोरीवाई पत्नि स्व. जोमदार सिंह
(11) सुखलाल (12) उत्तम पुत्रगण मौजीराम
निवासीगण ग्राम शेरपुरा तहसील पोरसा जिला मुरैना--- आवेदकगण

विरूद्ध

(1) फेरन सिंह (2) विजय सिंह
दोनों पुत्रगण द्वारिकाप्रसाद निवासी ग्राम
शेरपुरा तहसील पोरसा जिला मुरैना -----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8 – 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 102/202–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–7–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि फेरन सिंह ने पटवारी ग्राम रेपुरा को आवेदन देकर बताया कि उसके व्दारा ग्राम रेपुरा स्थित भूमि स. क. 1122 एंव 1123 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है. का आधा भाग 0.26 है. पंजीकृत विक्रय पत्र दि. 13.6.2000

से क्रय किया है, नामान्तरण किया जावे। नामान्तरण कार्यवाही पर घमण्डी, प्रीतम, जोमदार, सुखलाल, उत्तम ने आपत्ति प्रस्तुत की। नामांत्रण विवादित होने से नायव तहसीलदार पोरसा के यहां प्रस्तुत होने पर प्र. क्र. 94/99-2000 अ-6 पर पंजीबद्ध होकर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हुई एंव आदेश दि. 29.12.2000 पारित करके पंजीयन विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता फेरन सिंह का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील होने पर प्र.क. 37/2000-01 में पारित आदेश दि. 20.3.03 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्र. क्र. 102/02-03 अपील में पारित आदेश दि. 28-7-2005 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी हैं

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को साक्ष्य एंव बचाव प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है इसलिये प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु वापिस किया जावे। तहसील न्यायालय के प्र.क्र.94/99-2000 अ-6 के अवलोकन पर पाया गया कि जब क्रेता फेरन सिंह ने पटवारी के समक्ष विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण का आवेदन दिया एंव कार्यवाही प्रारंभ हुई, आवेदकगण ने स्वतः उपस्थित होकर नामान्तरण पर आपत्ति की है एंव प्रकरण नायव तहसीलदार न्यायालय में पहुंचने पर आवेदकगण ने श्री भॅवर सिंह नरवरिया अभिभाषक नियुक्त कर समुचित पैरवी की हे एंव विभिन्न प्रकार की लेखी आपत्तियां प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति यह नहीं माना जा सकता कि

नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया हैं।

5/ नायव तहसीलदार पोरसा के प्रकरण क्रमांक 94/99-2000 अ-6 में विचार योग्य बिन्दु है कि मामला विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण वावत् निर्णीत हुआ है।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 109 सहपठित 110 - पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही - पंजीकृत विक्रय पत्र की बैधता की जांच करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 - रिकार्डेड भूमिस्वामी व्दारा भूमि का विक्रय - विक्रय पत्र पर से नामांत्रण किया जावेगा - नामान्तरण करने में व्यवधान नहीं है।**
3. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 110 सहपठित धारा 50 - तीन अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा समवर्ती निष्कर्ष - निष्कर्ष तर्को के विवेचन उपरांत रिकार्ड के आधार पर आधारित- समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।**

और इन्हीं कारणों से ही अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह, अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने नायव तहसीलदार पोरसा के आदेश दिनांक 29.12.2000 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 102/202-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-7-2005 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु निगरानी सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर